अध्याय 4 - उपग्रह क्षमता को पट्टे पर देना

4.1 ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि

सेटकॉम नीति के एनजीपी के अनुच्छेद 2.6.5 के अनुसार, गैर सरकारी उपयोगकर्ताओ के द्वारा इनसैट क्षमता का उपयोग डी.ओ.एस./इनसैट तथा उपयोगकर्त्ता पक्ष के बीच हस्ताक्षरित औपचारिक पट्टा समझौते पर आधारित होना था, जो कि तकनीकी, वित्तीय, संविदागत तथा प्रबंधन के नियमों व शर्तों को बताएगा। तथापि, अनुबंध को विभिन्न नियमों व शर्तो के तकनीकी, वित्तीय एवं विधिक निहितार्थों के परीक्षण करने के बाद अवधारित किया गया था, ऐसा सुनिश्चित करने हेतु, तथा साथ ही साथ अनुबंध के प्रबंधन हेतु जिम्मेदारी एवं जवाबदेही नियत करने के लिए अनुमोदन एवं नियंत्रण तंत्र तैयार नही किया गया था। निम्न के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं थी:

चित्र 7: डी.टी.एच सेवा संचालन में

- वित्तीय दृष्टिकोण से उपयुक्त प्राधिकारी का अनुमोदन (अंतरिक्ष आयोग के वित्त सदस्य) ताकि इसमें शामिल वित्तीय हित व वित्तीय जोखिम पट्टा समझौते में पर्याप्त रुप से अन्तर्निहित किया जाए;
- विधिक दृष्टिकोण से कानून मंत्रालय का अनुमोदन;
- सेवा प्रदाताओं के साथ निबंधन और शर्तों की बातचीत के लिए उपर्युक्त स्तर पर तकनीकी समिति और वाणिज्यिक समिति की विधिवत प्रलेखित बैठक; तथा
- अनुबंध के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की व्यवस्था।

डी.ओ.एस. ने बताया (मार्च 2014) कि वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को इनसैट/जीसैट ट्रांसपोंडर को पट्टे देने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपना ली हैं तथा सुगठित कर लिया है।

इनसैट प्रणाली पर उपग्रह क्षमता के आवंटन हेतु डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं के साथ डी.ओ.एस. द्वारा प्रवेश किए गए, ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता में, बीजक बनाना और भुगतान का संग्रह ऐन्ट्रिक्स द्वारा किया गया जबकि डी.ओ.एस. ने सभी तकनीकी सहायता प्रदान किए । इसके लिए, एन्ट्रिक्स ने डी.ओ.एस. से 15 से 40 *प्रतिशत* तक की दर से कमीशन लिया। विदेशी उपग्रह क्षमता हेतु डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं के साथ एन्ट्रिक्स द्वारा प्रवेश किए गए एक के बदले एक अनुबंधों में डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं से एन्ट्रिक्स ने 7.5 *प्रतिशत* कमीशन लिया। यद्यपि डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं को उपग्रह क्षमता की पट्टेदारी व आवंटन में डी.ओ.एस. ने पर्याप्त तकनीकी सहायता दी, डी.ओ.एस. द्वारा किसी पारिश्रमिक का दावा नहीं किया गया। इसके विपरीत, एन्ट्रिक्स को कमीशन के रुप में भुगतान किए जा रहे काफी *प्रतिशतता* के कारण, डी.ओ.एस. द्वारा इनसैट/जीसैट क्षमता के पट्टे के माध्यम से प्राप्त राजस्व भी प्रभावी रुप से कम हो गया था।

यह मानते हुए कि इसने एंट्रिक्स को तकनीकी सहायता प्रदान किया, डी.ओ.एस. ने (मार्च 2014) कहा कि अंत उपयोगकर्ता और एंट्रिक्स से संबंधित पार्श्व सिरा कार्य महत्वपूर्ण था तथा इनसैट/जीसैट प्रणाली को एक अच्छे व्यवसायिक उद्यम के रुप में स्थापित करने हेतु मौजूदा तंत्र आवश्यक था। उत्तर को इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि उपग्रह क्षमता के आवंटन के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता देने के बावदजूद डी.ओ.एस. एंट्रिक्स से किसी भी मुआवजे का दावा किये बिना, चालान और भुगतान की वसूली के लिए, कमीशन के भुगतान के रुप में पर्याप्त खर्चे उठा रहा था।

4.2 ट्रांसपोंडर पट्टे समझौतो में सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ओ.एस. के ट्रांसपोंडर पट्टा समझौते की नियम व शर्तें निजी सेवा प्रदाताओं के पक्ष में थी तथा सरकार के वित्तीय हितों के विरुद्ध थी, जैसा कि उत्तरगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.2.1 ट्रांसपोंडर शुल्क के गैर पुनरीक्षण के कारण हानि

इनसैट प्रणाली से उपग्रह क्षमता हेतु डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं व डी.ओ.एस. के बीच डी.टी.एच. ट्रांसपोंडर लीज समझौते में प्रतिबद्ध लीज की अवधि पाँच से दस वर्ष थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ओ.एस. द्वारा प्रविष्ट ट्रांसपोंडर लीज समझौतों में कीमतों के पुनरीक्षण का प्रावधान शामिल नहीं था।

डी.ओ.एस. ने (जून 2002) विभिन्न इनसैट उपग्रह हेतु प्रत्येक तरह के ट्रांसपोंडरों की न्यूनतम कीमत निश्चित करने के लिए स्थायी समिति का गठन किया। समिति को विपणन रणनीति की आवधिक समीक्षा करनी थी एवं दरों के कारण विवाद की स्थिति में, यह व्यक्तिगत रुप से सेवा-प्रदाताओं के

साथ बात करने को अधिकृत थी। डी.ओ.एस. द्वारा तीन साल की अवधि के लिए अर्थात मार्च 2011 तक इनसैट ट्रांसपोंडर लीज शुल्क निश्चित तथा अनुमोदित (मार्च 2008) था।

चूँकि अप्रैल 2011, जब वैधता अवधि समाप्त हो जाती, तक भी आई.सी.सी. को कीमतों को अंतिम रुप देना बाकी था, विविध ट्रांसपोंडर लीज समझौते की मौजूदा कीमतों की वैधता दिसम्बर 2011 तक बढ़ा दी गई। तत्पश्चात् डी.ओ.एस. ने (अप्रैल 2012) 15 *प्रतिशत* कीमते बढ़ाने का फैसला किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह अवलोकन किया गया कि आई.सी.सी. ने कीमतों को अंतिम रुप नहीं दिया, जिसके कारण संशोधन नहीं लाया गया। इस तरह से डी.ओ.एस. ने सितम्बर 2013 तक वर्तमान कीमतों की वैधता बढ़ाई तथा कहा (सितम्बर 2013) कि तक कीमतों की आगे 31 मार्च 2014 तक के लिए वृद्धि का अनुमोदन मांगा जा रहा था।

इसके विपरीत, एक के बदले एक समझौते के मामले में विदेशी उपग्रह संचालको के साथ ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता केवल एक से छः वर्ष के लिए वैध था। समझौते की अवधि के अंत में, नए समझौते संशोधित कीमतों पर प्रवेश किए गए, जैसा कि तालिका 8 में विस्तृत है:-

तालिका-8: विदेशी उपग्रह से ट्रासंपोंडर पट्टों की कीमतों की पुनरीक्षण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विदेशी उपग्रह क्षमता प्रदाता	डी.टी.एच. सेवा प्रदाता	वास्तविक समझौता				नया समझौता				कीमत में वृद्धि	कीमतों में *प्रतिशत* वृद्धि	वास्तविक तिथि तथा वृद्धि प्रक्रिया के बीच की अवधि (महीनों में)
			वास्तविक समझौते की तिथि	प्रति वर्ष प्रति ट्रांसपोंडर कीमत	कमीशन @ 7.5%	कुल कीमत प्रति ट्रांस्पोंडर	नए समझौते की तिथि	प्रति वर्ष प्रति ट्रांसपोंडर कीमत	कमीशन @ 7.5%	कुल कीमत प्रति ट्रांस्पोंडर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	मीसैट	रिलायंस	अक्टूबर 2007	4.30 (36 MHz के लिए)	0.32	4.62	अगस्त 2011	4.52 (36 MHz के लिए)	0.34	4.86	0.24	5	46
2.	एस.टी.	वीडियोकॉन	जुलाई 2009	4.82 (54 MHz के लिए) (एक मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.36	5.18	जनवरी 2011	6.20 (54 MHz के लिए) (1.35 मिलियन अमरीकी डॉलर	0.47	6.67	1.49	29	18

3	एस.टी.	विडियोकॉन	जनवरी 2011	6.20 (54MHz के लिए) (1.35 मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.47	6.67	अप्रैल 2012	8.24 (54 MHz के लिए) (1.6 मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.62	8.86	2.19	33	15
4.	मीसैट	सन डी.टी.एच.	दिसम्बर 2008	4.21 (36 MHz के लिए)	0.32	4.53	जुलाई 2011	4.52 (36 MHz के लिए)	0.34	4.86	0.33	7	31
5.	एस.ई.एस.	डिश टीवी	जून 2004 (जनवरी 2005 में संशोधन)	4.54 (36MHz हेतु) (1 मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.34	4.88	अप्रैल 2010	4.88 (36 MHz के लिए) (1.1 मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.37	5.25	0.37	8	70
				5.23 (54 MHz हेतु) (1.15 मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.39	5.62		5.61 (1.265 मिलियन अमरीकी डॉलर)	0.42	6.03	0.41	7	70

तालिका से यह देखा जा सकता है कि कीमतों को एक से छः साल के अंतराल में 5 से 33 *प्रतिशत* तक बढ़ाया गया। इसके विपरीत, वे डी.टी.एच. सेवा प्रदाता जो इनसैट ट्रांसपोंडर क्षमता का लाभ उठा रहे थे, उनको छः से दस वर्षों तक उसी शुल्क का भुगतान करना था। इनसैट प्रणाली हेतु सेवा प्रदाताओं के साथ डी.ओ.एस. द्वारा हस्ताक्षरित समझौते में कीमत संशोधन खंड का गैर-समावेश तथा कीमतो के गैर-संशोधन के परिणामस्वरुप डी.ओ.एस. को ₹36.17 करोड़ की हानि हुई, जैसाकि तालिका 9 में दिखाया गया है:

तालिका-9: कीमतों के संशोधन में हुई देरी के कारण कीमतो का अंतर
(अप्रैल 2011 के बाद तक वैध समझौते)

(₹ करोड़ में)

क्रम .सं.	उपभोक्ता	उपग्रह	समझौते की तिथि	कालावधि*	अवधि	अप्रैल 2011 को ट्रांसपोंडर की दर	15% की वृद्धि मानते हुए ट्रांसपोंडर की दर	ट्रांसपोंडरों की संख्या	कीमतों[31] का अंतर	वास्तविक समझोते की तिथि से अवधि (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	टाटा स्काई	इनसैट-4 ए	12नवम्बर 2005	1 अप्रैल 2011से 17 जुलाई 2013	27 महीने 17 दिन	4.6	5.29	12	19.02	91
2	दूरदर्शन	इनसैट-4 बी	18 मार्च 2004	1 अप्रैल 2011 से 21 मई 2012	13 महीने 21 दिन	4.4	5.06	5	3.77	114
				22 मई 2012 से 30 सितम्बर 2013	16 महीने 10 दिन	4.4	5.06	6	5.39	
3	सन डी.टी.एच.	इनसैट-4 बी	19 फरवरी 2005	1 अप्रैल 2011 से 30 नवम्बर 2012	20 महीने	4.7	5.40	1	1.17	93
4	एयरटेल	इनसैट 4 सीआर	26 दिसम्बर 2006	1 अप्रैल 2011 से 03 सितम्बर 2011	5 महीने 03 दिन	4.8	5.52	7	2.14	72
			26 दिसम्बर 2006	04 सितम्बर 2011 से 05 अक्टूबर 2011	01 महीना 02 दिन	4.8	5.52	6.75	0.43	
			26 दिसम्बर 2006	06 अक्टूबर 2011 से 15 दिसम्बर 2011	02 महीने 10 दिन	4.8	5.52	6.67	0.93	
			26 दिसम्बर 2006	16 दिसम्बर 2011 से 01 मार्च 2012	02 महीने 15 दिन	4.8	5.52	6.5	0.97	
			26 दिसम्बर 2006	02 मार्च 2012 से 03 जुलाई 2012	04 महीने 02 दिन	4.8	5.52	6	1.46	

[31] जैसा कि डॉस द्वारा अप्रैल 2012 में निर्णय किया गया था, कीमतों में 15 *प्रतिशत* की वृद्धि पर विचार करते हुए कीमतों में अंतर को आंका गया है। हानि की गणना कॉलम (7)का 15% xकॉलम (6)/12xकॉलम (8) के रुप में की गई है।

क्रम .सं.	उपभोक्ता	उपग्रह	समझौते की तिथि	कालावधि*	अवधि	अप्रैल 2011 को ट्रांसपोंडर की दर	15% की वृद्धि मानते हुए ट्रांसपोंडर की दर	ट्रांसपोंडरों की संख्या	कीमतों [31] का अंतर	वास्तविक समझोते की तिथि से अवधि (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			26 दिसम्बर 2006	04 जुलाई 2012 से 13 जुलाई 2012	10 दिन	4.8	5.52	5	0.10	
			26 दिसम्बर 2006	14 जुलाई 2012 से 31 अगस्त 2012	01 महीना 18 दिन	4.8	5.52	4.5	0.43	
			26 दिसम्बर 2006	01 सितम्बर 2012 से 30 सितम्बर 2012	01 महीना	4.8	5.52	3	0.18	
			26 दिसम्बर 2006	01 अक्टूबर 2012 से 31 दिसम्बर 2012	03 महीने	4.8	5.52	1	0.18	
कुल									**36.17**	

*समझौते की वैधता या 30 सितम्बर 2013 तक, जो भी पूर्व था, लिया गया है।

तालिका 8 और 9 में दिखाए गए ट्रांसपोंडरों की कीमतों के विश्लेषण से पता चला कि जबकि संशोधन के पश्चात विदेशी स्वामित्व वाले ट्रांसपोंडरों की कीमतें ₹4.86 करोड़ से ₹8.86 करोड़ प्रति ट्रांसपोंडर प्रति वर्ष थीं, परन्तु इनसैट ट्रांसपोंडरों की कीमते छः से 10 साल से ऊपर तक ₹4.40 करोड़ से लेकर ₹4.80 करोड़ पर स्थिर बनी रही। जब विदेशी उपग्रह प्रदाता अपनी कीमतो को लगातार संशोधित कर रहे थे तो डी.ओ.एस. के उसी कीमत के साथ चलने की कमजोर विपणन रणनीति का परिणाम ट्रांसपोंडर शुल्क में हानि तथा उन सेवा प्रदाताओं जिन्हें इनसैट क्षमता आवंटित किये गये थे को ज्यादा लाभ के रुप में निकला।

डी.ओ.एस. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि दीर्घावधि अनुबंध को एम.आई.बी. द्वारा 10 वर्षीय अनुज्ञप्ति के अधिनिर्णय को ध्यान में रखते हुए एवं अल्पावधि में अन्य कक्षीय स्थानों में पुनर्स्थापन में कठिनाईयों के कारण सुविचारित रुप से विनिश्चित किया गया था। डी.ओ.एस. ने यह भी कहा कि इनसैट/जीसैट तंत्र की स्वीकार्यता को उत्तमतर बनाने के लिए तथा इनसैट/जीसैट उपग्रह तंत्र को देश में वाणिज्यिक रुप से अवलंबनीय एवं व्यवहार्य बनाने के लिए डी.टी.एच. उपयोगकर्ताओ के साथ नियत प्रशुल्क लागू किए गए। डी.ओ.एस. ने आगे कहा (मार्च 2014) कि संशोधित मूल्य निर्धारण की नीति मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में था। डी.ओ.एस. ने आगे कहा (मई/जून 2014) कि टाटा

स्काई से अनुबंध पुनः तय किये गये तथा टाटा स्काई 18 जुलाई 2013 से कीमतों के नवीकरण हेतु राजी हो गया था।

हालांकि तथ्य बना रहा कि यद्यपि कीमतों को मार्च 2011 के बाद संशोधित किया जाना था, किन्तु वे इस बहाने से संशोधित नहीं किया गया कि अनुबंध इसलिए समाप्त नहीं किया जा सका था क्योंकि सेवा-प्रदाताओं को लाइसेंस 10 वर्ष हेतु निर्गत किया गया था। टाटा स्काई से संशोधित मूल्य मार्च 2014 तक भी लिया जाना बाकी था।

4.2.2 टाटा स्काई के साथ ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता की विशेष नियम व शर्तें

जैसा की इस रिपोर्ट के पैरा 3.4.1 तथा 3.4.2 में व्याख्यायित किया गया है, डी.ओ.एस. ने इनसैट 4ए पर टाटा स्काई को क्रमबाह्य तथा 83° पूर्व पर एकांतिक अधिकारो की पेशकश द्वारा उपग्रह क्षमता आवंटित की। आगे लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि टाटा स्काई के साथ प्रविष्ट ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता (नवम्बर 2005) द्वारा टाटा स्काई को निम्नलिखित लाभ दिए गये जिसकी किसी अन्य डी.टी.एच. सेवा प्रदाता जैसे कि एयरटेल तथा सन डी.टी.एच. को उपलब्ध नहीं की गई:

- अतिरिक्त ट्रांसपोंडर क्षमता हेतु प्रावधान के साथ उपग्रह क्षमता के लिए प्रतिबद्धता मुक्त-छोर थी, जबकि अन्य समझौतों में उपग्रह क्षमता केवल पट्टे की अवधि के लिए थी।
- सेवा में 30 मिनट से ज्यादा से 24 घंटो के रुकावट के मामले में स्लैब दरों पर क्रेडिट प्रदान किए गए, जबकि अन्य समझौतों में अनुपातिक आधार पर एक घंटे से ज्यादा रुकावट के लिए क्रेडिट प्रदान किए गए।
- टाटा स्काई के अनुरोध पर डी.ओ.एस. द्वारा ग्राहक के धरातलीय स्टेशन के परीक्षण का प्रावधन था, जबकि अन्य सेवा प्रदाताओं को यह सुविधा नहीं दी गई थी।
- टाटा स्काई को, डी.ओ.एस. को यथोचित पूर्व-सूचना/नोटिस देकर, अपने सहबद्ध कंपनियों सहित किसी को भी, अपने किन्हीं भी अधिकारों को सौंपने या अपने कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी, जबकि अन्य डी.टी.एच. सेवा-प्रदाताओं को यह सुविधा प्रदान नहीं की गयी।
- टाटा ग्रुप के अध्यक्ष, एनट्रिक्स के निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशकों में से एक था। तथापि, हो सकता है कि एनट्रिक्स में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा हो, टाटास्काई के विशिष्ट आधार पर इनसैट 4ए के केयू बैंड ट्रांसपोंडर का आवंटन हितों के टकराव का सवाल जरुर उठाता है।

उपर्युक्त को स्वीकार करते हुए, डी.ओ.एस. ने कहा (दिसम्बर 2012) कि निजी उपयोगकर्ताओं को इनसैट/जीसैट प्रणाली की ओर लाने के दृष्टिकोण से इनसैट/जीसैट प्रणाली के विपणन की प्रारंभिक अवधि के दौरान टाटा स्काई के साथ समझौता किया गया। डी.ओ.एस ने आगे कहा (मार्च 2014) कि ऐसी धाराएँ वार्ता के भाग के रुप में ग्राहक के विशेष अनुरोध के आधार पर स्वीकार किए गए तथा उपयोगकर्ताओं को कुछ आत्मविश्वास के साथ ही अनुबंध प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने के इरादे से की गईं।

उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि विशेष शर्तों ने टाटा स्काई को लाभ पहुँचाया जैसा कि पैरा 2.2.2 (ii), 3.4.1 और 3.4.2 में समझाया गया है। इसके अलावा अन्य ट्रांसपोंडर पट्टा अनुबंधों की तुलना में टाटा स्काई के साथ हुए अनुबंध के बीच तात्विक अन्तर को, विशेषतः प्रधान कक्षीय स्लॉट पर विशिष्टाधिकार वित्त मंत्रालय ने भी दृष्टिगत किया, जिसने डी.ओ.एस. से (मार्च 2013) टाटा स्काई के साथ हुए अनुबंध कि शर्तों के लिए दुबारा बात करने हेतु अनुरोध किया। तथापि यह अभी होना बाकी था (जून 2014 तक)।

4.2.3 ट्रांसपोंडर कीमतों की अल्पप्रभारण की वजह से हानि

डी.ओ.एस. ने (फरवरी 2005) इनसैट 4बी उपग्रह में 4 ट्रांसपोंडर ईकाई[32] की पट्टेदारी हेतु सन डी.टी.एच. के साथ समझौता किया। तत्पश्चात् डी.ओ.एस. ने (फरवरी 2007) सन डी.टी.एच. को 2.25 अतिरिक्त ट्रांसपोंडर पट्टे पर देने का निर्णय लिया तथा 6.25 ट्रांसपोंडर के विपरीत केवल छः ट्रासंपोंडसर का शुल्क ₹4.75 करोड़ प्रति ट्रांसपोंडर की दर से इस आधार पर लिया कि सन डी.टी.एच. पट्टे पर लेने के लिए इस शर्त पर राजी हुआ कि उनसे केवल छः ट्रांसपोंडर का शुल्क लिया जाएगा। हालांकि यह कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.ओ.एस. ने फर्म को 6.25 ट्रांसपोंडर पट्टे पर दिये थे। ट्रांसपोंडर के अल्पप्रभारित होने के परिणामस्वरुप 15 जनवरी 2008 से 6 जुलाई 2010 तक की अवधि में ₹2.94 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी अवलोकन किया गया कि डी.ओ.एस. ने बिना कोई कारण बताए इन ट्रांसपोंडरों की कीमत जनवरी 2010 से घटा कर ₹4.70 करोड़ प्रति ट्रांसपोंडर की दर से प्रभावी की, जिसके परिणाम स्वरुप डी.ओ.एस को ₹46.92 लाख की हानि हुई जैसा कि तालिका 10 मे दिखाया गया है।

[32] एक ट्रांसपोंडर 36 मेगाहार्टज के समतुल्य है। सन डी.टी.एच. को 36 मेगाहार्टज प्रत्येक के चार ट्रांसपोंडर और 27 मेगाहार्टज प्रत्येक के तीन ट्रांसपोंडर को पट्टे पर दिया गया।

तालिका-10: ट्रांसपोंडर का अल्प प्रभारीकरण

क्रम सं.	अवधि	पट्टे पर दिए गए ट्रांसपोंडर की सं.	समझौते के अनुसार दर (₹ लाख)	लगाई गई दर (₹ लाख)	अवधि	हानि (₹ लाख)
1.	21 जनवरी 2010 से 7 जुलाई 2010	06	475	470	5 महीने और 17 दिन	13.92
2.	8 जुलाई 2010 से 7 दिसम्बर 2010	01	480	470	5 महीने	4.17
3.	8 जुलाई 2010 से 31 दिसम्बर 2010	01	480	470	5 महीने 24 दिन	4.83
4.	8 जुलाई 2010 से 30 नवम्बर 2012	01[33]	480	470	28 महीने 24 दिन	24.00
कुल						**46.92**

कारण के दुहराते हुए, डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2014) कि स्थायी समिति निर्णय लेने हेतु सशक्त थी। जैसा पहले उल्लिखित है यह जवाब स्वीकार्य नहीं है।

4.2.4 बोनस समय का आवंटन

डी.ओ.एस. तथा सन डी.टी.एच. के बीच हुआ समझौता, ग्राहक को पूर्व बोली प्रोत्साहन के रुप में ग्राहक को पट्टा अवधि शुरु होने के 60 दिन पूर्व तथा तीन महीने बाद तक क्षमता की मुफ्त पहुँच की अनुमति देता था। तथापि, डी.ओ.एस. ने सन डी.टी.एच को तीन महीने अनुमति देने के बाद 1.5 महीने का मुफ्त बोनस अवधि की अनुमति दी । डी.टी.एच. सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित संचालन अनुमोदन प्राप्त करने में हुई देरी की एवज में अतिरिक्त फ्री टाइम दिया गया। चूँकि संचालन अनुमोदन प्राप्त करना ग्राहक की जिम्मेदारी थी, अतिरिक्त फ्री बोनस टाइम के परिणाम में सन डी.टी.एच. को ₹3.56 करोड़ का अनपेक्षित लाभ[34] हुआ।

डी.ओ.एस ने कहा (मार्च 2014) कि निर्णय स्थायी समिति के द्वारा लिया गया, जो निर्णय लेने के लिए सशक्त थी। डी.ओ.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूँकि स्थायी समिति केवल प्रत्येक तरह के ट्रासंपोंडर के लिए न्यूनतम कीमत तय करने के लिए अधिकृत थी तथा ट्रांसपोंडर के इस्तेमाल हेतु फ्री बोनस टाइम देने के लिए अधिकृत नहीं थी।

---

[33] इनसैट 4बी में बिजली की कमी की वजह से, ट्रांसपोंडर का आवंटन घटा कर एक ट्रांसपोंडर कर दिया गया तथा चार ट्रांसपोंडर का प्रबंध विदेशी उपग्रह मीसैट 3 से किया गया।

[34] 1.5 x 4.75 x 6 /12.

4.2.5 एम.ओ.यू. के हस्ताक्षर करने में असफलता की वजह से ₹5.90 करोड़ राजस्व का एकत्रित नहीं किया जाना

सैटकॉम नीति के एन.जी.पी. के अनुच्छेद 2.6.5 में अनुबद्ध है कि क्षमता की लीजिंग हेतु, डी.ओ.एस. को डी.टी.एच. सेवा प्रदाता के साथ ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता करना था। हालांकि, डी.ओ.एस. दूरदर्शन के साथ इस तरह के समझौते में प्रविष्ट नहीं हुआ, इसकी बजाय दूरदर्शन को डी.टी.एच. सेवा हेतु इनसैट 4बी के पाँच ट्रांसपोंडर की लीजिंग हेतु प्रसार भारती के साथ एम.ओ.यू. (मार्च 2004) हस्ताक्षरित किया। यद्यपि एम.ओ.यू. कहता है कि दूरदर्शन को वर्तमान दर पर केयू बैंड के लिए चार्ज किया जाएगा, लगाई गई दरें दर्शाई नहीं गई थी।

प्रसार भारती ने (मई 2012) डी.ओ.एस. को दूरदर्शन की डी.टी.एच. सेवा हेतु इनसैट 4बी में एक अतिरिक्त केयू बैंड ट्रांसपोंडर के आवंटन हेतु डी.ओ.एस. से अनुरोध किया। छठे ट्रांसपोंडर के आवंटन का आश्वासन एवं इसकी आवृत्ति के विवरण का भी अनुरोध किया गया ताकि अतिरिक्त ट्रांसपोंडर के लिए अपेक्षित अतिरिक्त जमीन सुविधाओं की खरीदी तथा स्थापना की जा सके। डी.ओ.एस. ने प्रसार भारती को (मई 2012) अतिरिक्त ट्रांसपोंडर आवंटित किया परन्तु इसने न तो प्रसार भारती द्वारा माँगी गई जानकारी प्रदान की और न ही एक पक्का समझौता/एम.ओ.यू. किया गया। डी.ओ.एस. से अग्रिम जानकारी की गैर पावती के कारण, प्रसार भारती उपकरणों की खरीद तथा समय पर आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थ रहा। प्रसार भारती ने आगे सूचना दी (जून 2013) कि चूँकि एम.ओ.यू. तब तक हस्ताक्षरित नहीं हुआ था अतिरिक्त केयू बैंड का उपयोग नहीं किया गया । परिणामस्वरुप, डी.ओ.एस. द्वारा मई 2012 से जुलाई 2013 तक के लिए परिगणना की गई अतिरिक्त ट्रांसपोंडर हेतु लीज शुल्क ₹5.90 करोड़[35] के राजस्व को एकत्रित नहीं किया गया।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2014) कि प्रसार भारती ने बाद में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए और मई 2012 से प्रभावी अतिरिक्त केयू बैंड ट्रांसपोंडर के लिए पट्टा शुल्क का भुगतान करने के लिए भी राजी हो गया था। डी.ओ.एस. हालांकि कथित भुगतान की स्थिति पर चुप रहा।

4.3 एक के बदले एक समझौतों से बकाया देय राशि

जैसा कि पैरा 2.3 में चर्चा की गई है, डी.ओ.एस. ने एंट्रिक्स के माध्यम से, भारतीय डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं को अल्पकालीन अवधि के लिए विदेशी उपग्रह क्षमता की व्यवस्था एक अस्थायी उपाय के रुप मे की ताकि जब अंततः भारतीय उपग्रह क्षमता उपलब्ध हो जाए, तब सेवा को इनसैट प्रणाली में वापस लाना सुनिश्चित किया जा सके। डी.ओ.एस. ने डिश टी.वी., सन डी.टी.एच., एयरटेल, रिलायंस

[35] जून 2013 को बकाया राशि (A) = ₹ 5,48,87,256. जुलाई से सितम्बर 2013 के लिए राशि= ₹ 1,23,59,600. जुलाई 2013 के लिए राशि (B) = ₹ 1,23,59,600/3 = 41,19,866.67. कुल (A+ B) = ₹ 5.90 करोड़

और विडीयोकॉन के लिए एक के बदले एक समझौतों में प्रवेश लिया। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि ₹62.55 करोड़ तक का ट्रांसपोडर लीज शुल्क इन पार्टियों से लिया जाना बाकी था।

डी.ओ.एस. ने कहा (मार्च 2014) कि ₹57.17 करोड़ की राशि वसूली जा चुकी थी। शेष ₹5.38 करोड़ बकाया था। एक के बदले एक व्यवस्था में बकाया देय इस बात को इंगित है कि इन मामलों में एंट्रिक्स ने ट्रांसपोंडर पट्टा समझौता के मुताबिक सेवा प्रदाताओं से अग्रिम में पैसा नहीं लिया तथा उन्हें क्रेडिट के आधार पर भुगतान करने की अनुमति दी जिसके कारण अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा परिणामस्वरुप ट्रांसपोंडर पट्टा शुल्क बकाया रह गया।